



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 303]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 25 जुलाई 2015—श्रावण 3, शक 1937

लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 जुलाई 2015

शुद्धि-पत्र

क्र. एफ 2-13-2012-इक्सठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-13.—विभागीय समसंचयक अधिसूचना क्रमांक 188, दिनांक 18 मई 2015 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 18 मई 2015 में मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत् किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की सेवाएं प्रकाशित की गई हैं, अधिसूचना के पृष्ठ क्रमांक 375 सेवा क्रमांक 13.3 एवं 13.4 के कॉलम (3) में वर्णित पदाभिहित अधिकारी का पदनाम में उल्लेखित “खाद्य” के स्थान पर “खाद” पढ़ा जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरिंजन राव, सचिव।